(घ) सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की जरूरतों को पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती आसवा राजेश्वरी) : (क) से (घ) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा भेजे गए रोजगार विपणन सूचना संबंधी आंकड़ों (1991–92) के आधार पर देश में संगठित क्षेत्र में ऐसी कामकाजी महिलाओं की संख्या जिनकी मासिक आय 5000/–रु० से अधिक नहीं है और जिन्हें होस्टल में आवास की आवश्यकता है, लगभग 1.35 लाख आंकी गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता स्कीम के अंतर्गत 627 होस्टल संस्वीकृत किए जा चुके थे जिनमें 40,662 कामकाजी महिलाओं को आवास-सुविधा प्रदान करने की क्षमता थी। आठवीं पंच-वर्षीय योजनावधि (1992–97) के दौरान 12,500 कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के लिए 35 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, 29 मार्च, 1995 तक 5479 कामकाजी महिलाओं के लिए 77 होस्टल संस्वीकृत किए जा चुके हैं जिससे 46,140 कामकाजी महि-लाओं के लिए अब तक संस्वीकृत होस्टलों की कुल संख्या 704 हो गई है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करें।

ग्रामीण युवकों के लिए खेल-कूद एवं प्रशिक्षण केन्द्र

2904. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह भंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण युवकों के लिए प्रति दस गांव के एक समूह हेतु एक सूचना, खेलकूद एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है :

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या यह सच है कि काम की प्रगति बहुत धीमी रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मूकुल वासनिक) : (क) जी, हां। सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से प्रति दस गांव के एक समूह के युवा क्लबों में से सक्रिय युवा क्लब को 30,000/–रु० की सहायता देकर, युवा विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। इन युवा विकास केन्द्रों के लक्ष्य इस प्रकार होंगे :—

(1) ग्रामीण स्तर पर युवा क्लबों और जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्रों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना।

(2) विकासात्मक और मनोरंजक क्रियाकलापों में ग्रामीण युवाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करना।

(3) उपरोक्त प्रयोजनों के लिए युवाओं को केवल न्यूनतम अवस्थापना उपलब्ध कराना।

युवा विकास केन्द्र संबंधित गांवों में होने वाले सभी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु माने जाएंगे। हालांकि, सरकार का लक्ष्य 10 गांवों के एक समूह के लिए युवा विकास केन्द्र स्थापित करना है, परंतु धनराशि की कमी के कारण इस समय समूचे देश के प्रति 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केन्द्र खोलना संभव नहीं है।

(ख) अब तक कोई नौ युवा विकास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि यह एक नई योजना है, इसलिए योजना आयोग जैसे विभिन्न निकायों के सुझाव अपेक्षित है। तथापि, स्थायी वित्तीय समिति ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

छोटे शहरों में खेल कूद संबंधी बुनियादी सुविधाएं

2905. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल-कूद संबंधी बुनियादी सुविधाएं केवल बड़े-बड़े शहरों एवं कस्बों में ही संकेन्द्रित होती जा रही है और छोटे-छोटे शहरों एवं कस्बों की इस मामले में उपेक्षा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :
(क) जी, नहीं ।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय बड़े शहरों और छोटे शहरों/कस्बों में कोई विभेद नहीं करता है। खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान की योजना में वस्तुतः ग्रामीण, ब्लाक और जिला स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। तथापि, ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा समर्थित होना चाहिए और तत्पश्चात् स्थान का चयन अंततः राज्य सरकारों की सिफारिशों से ही होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Haryana Scheme to be Replicated Nationwide

2906. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the 'Indian Express' dated 23rd January,1995 under the caption "Haryana Scheme to be replicated nationwide";

(b) if so, what are the full details in this regard; and

(c) what concrete and effective measures Government propose to take for launching the same scheme in all the States and Union Territories of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached (*See* below).

(c) There is no proposal under consideration of Government of India to replicate the Haryana Scheme in all the States and Union Territories.

Statement

The State Government of Haryana has launched a new scheme of "Apni Beti Apna Dhan" in the State with effect from 2-10-1994. This Scheme aims at the upliftment of status of the girl child in society so as to bring a change in people's attitude to treat daughters as assets rather than as burdens. Scheduled Castes families (except Class I and Class II officers and Income Tax paving families) and in case of other castes, families below the poverty line having a maximum of 3 children including new born are eligible. Under this schmee Rs. 500|- are given to the mother for her nutrition within 15 days of giving birth to a girl child. and Rs. 2500|— are invested in Indira Vikas Patras in the name of the girl child for a period of